

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जिला  
उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार (RAS)

संख्या- 15/2017

दायर दिनांक- 30.05.2017

फैसल दिनांक- 03.01.2020

श्री प्रकाश पिता थावराजी जाति मीणा आयु 43 वर्ष निवासी कलालीया तहसील खेरवाडा  
जिला उदयपुर

- वादी-

बनाम

- श्रीमती नाथी पत्नी गणेशलालजी मीणा आयु 38 वर्ष निवासी बंजारिया तहसील खेरवाडा  
जिला उदयपुर
- राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

-प्रतिवादी-

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :-  
श्री विवेक कंसारा

वाद बाबत घोषण पांति बंटवारा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बंजारिया पटवार मंडल बंजारिया तहसील खेरवाडा में स्थित है जिस पर सभी खातेदारों का संयुक्त रूप से कब्जा स्थित है। जिसका आराजी नम्बर 1584 रकबा 0.08 हैक्टर लगानी 0.02 रूपया है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी 3/4 वॉ हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 वॉ हिस्सा हो बहेसियत खातेदार के रूप में भू-अभिलेख में दर्ज है। सम्पूर्ण कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त खातेदारी एवं हिस्से के अनुरूप दर्ज भू-अभिलेख होकर मौके पर विधिवत माप एवं क्षेत्रफल के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है एवं मौखिक रूप से अन्दाजन उपयोग व उपभोग का कृषि उत्पन्न पैदावार लेते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात जिसके प्रत्येक अंश पर वादी का हिस्सेनुसार हिस्सा हो वे उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात जो अबादी क्षेत्र के घस में आ जाने से उसकी बाजार दर बढ़ गई है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा में खोटा उत्पन्न हो गई है तथा वे अपने अंश से अधिक की दर से वादी को अपने अधिकारों से वंचित कर देने पर असहमत है तथा वे उनके

*[Handwritten signature]*

आवश्यक है।

विशेष विहित करा स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करना एवं तदनुसार रेकार्ड में इन्तजाल कराना असम्भव हो जाने से वादीगण के लिये भूमि का माप व सीमाओं से बटवारा करा हिस्सा उपयोग उपयोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। ऐसे में संयुक्त स्वामित्व, अधिपत्य जारी रखना भूमि हड़पने व वादी को अपने अधिकारों से वंचित कर देने पर आमादा है तथा वे उनके कारण प्रतिवादी संख्या 01 के मन में खोटा उत्पन्न हो गई है तथा वे अपने अंश से अधिक आराजीयात जो आबादी क्षेत्र के पास में आ जाने से उसकी बाजार दर बढ़ गई है। जिस वादी का हिस्सेनुसार हिस्सा हो वे उसका उपयोग करती आ रहे है तथा उक्त वर्णित कर कृषि उपज पैदावार लेते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात जिसके प्रत्येक अंश पर सीमाओं के आधार पर बटवारा नहीं हुआ है एवं मौखिक रूप से अन्दोजन उपयोग व उपयोग संयुक्त खातेदारी एवं हिस्से के अनुरूप दर्ज भू-अभिलेख होकर मौके पर विधिवत माप एवं खातेदार के रूप में भू-अभिलेख में दर्ज है। सम्पूर्ण कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी 3/4 वां हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 वां हिस्सा हो बहुसंयुक्त नंबर 1584 रकबा 0.08 हैक्टर लगानी 0.02 रूपया है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी में स्थित है जिस पर सभी खातेदारों का संयुक्त रूप से कब्जा स्थित है। जिसका आराजी स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बंजारिया पटवार मंडल बंजारिया तहसील खैरवाला वादीगण के बाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाद बाबत घोषण पाति बटवारा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53

स्थिति वादी अधिपता :- श्री विवेक कंसारा

-प्रतिवादी-

1. श्रीमती नट्टी पत्नी गणेशलालजी मौजा आयु 38 वर्ष निवासी बंजारिया तहसील खैरवाला
2. राजस्थान राज्य जारिये भूमिधारी तहसीलदार खैरवाला जिला उदयपुर (राज.)

बनाम

- वादी -

श्री राजेश चंद कंसारी जिला उदयपुर 33 वर्ष निवासी बंजारिया तहसील खैरवाला

प्रतिवादी के मन में बदनियती उत्पन्न हो गयी है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में से मौके की किमती भूमि पर अकेले काबिज हो उसे अन्य को विक्रय कर खुर्दबूर्द कर वादी को बेदखल कर देना चाहते हैं जिसका की उन्हे कोई अधिकार नहीं है ऐसे में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के सभी खातेदारों के मध्य उनके हिस्सेनुसार विधिवत पांति बंटवारा माप व सीमाओं से नहीं हो जायत जब तक उपरोक्त वर्णित भूमि में किसी अन्य के हित सृजित नहीं करेंगे न किसी को विक्रय करे न ही वादी को बेदखल करने का प्रयास करे न ही कोई निर्माण कार्य करे। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य संयुक्त खाते की कृषि भूमि का कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवारा नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी जबरन मौके की किमती भूमि पर अकेले ही अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर अपने हिस्से में आई बता कर विक्रय कर वादी को उनके हक हिस्से की भूमि में मेहरूम कर बेदखल कर देना चाहते हैं। इसलिए उक्त वर्णित समस्त मुद्दे का कानूनन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड आउण्डस में बंटवारा कराया जा कर उसके आये हिस्से अनुसार पृथक-पृथक खाता दर्ज कर पृथक खातेदार घोषित किया जाना व राजस्व रिकार्ड में इस आशय का अमल दरामद कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए पक्षकारों के बीच में कानूनी बंटवाडा नितान्त आवश्यक है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सम्मन तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा वादीगण की साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली का विवेचन किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य दस्तावेजों का विवेचन किया गया तथा वादी वकील की बहस सुनकर मनन किया गया।

उक्त वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि मौजा कलसिया पटवार मंडल बंजारिया तहसील खेरवाडा में स्थित है जिस पर सभी खातेदारों का सम्पुक्त रूप से कब्जा स्थित है। जिसका आराजी नम्बर 1584 रकबा 0.08 हैक्टर लगानी 0.02 है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का  $\frac{3}{4}$  वाँ हिस्सा एवं प्रतिवादी का  $\frac{1}{4}$  वाँ हिस्सा बनता है जिसे मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर पांति बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा हेतु तहसीलदार को कोर्ट कमीशनर नियुक्त किया जाकर अर्देवित किया जाता है कि दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रस्ता भी प्रस्तावित बंटवाडा सूची, लगान सूची, रस्ता टून दो-दो प्रतिवों में पेश किये जावें। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को पूर्ण रूप से पालन किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
खरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

आवेदन को पूर्ण रूप से पालन किया जावे।

नस्ब। देस दो-दो प्रतियों में प्रेष किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित बटवाडा सूची, लगान सूची, किया जाकर आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में बटवाडा प्रस्तावित पर पाति बटवाडा प्रस्तावित किया जावे। बटवाडा हेतु तहसीलदार को कोर्ट कमीशनर नियुक्त हिस्सा बनता है जिस मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए मिट्टस एण्ड बाउण्ड के आधार किया है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 3/4 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/4 वां हिस्सा कप से कब्जा स्थित है। जिसका आराजी नम्बर 1584 रकबा 0.08 हैक्टर लगानी 0.02 बंगारिया पटवार मंडल बंगारिया तहसील खरवाडा में स्थित है जिस पर सभी खेतदारों का अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्ली किया जाता है कि मौजा

किया गया।


केन्द्र साक्ष्य दर्तावेजों का विवेचन किया गया तथा वादी वकील की बहस सुनकर मनन पर प्रेष किया गया। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली का विवेचन किया गया। पत्रावली में विवेक एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा वादीगण की साक्ष्य का शपथ पत्र किया गया। प्रतिवादी को सम्मान लामिल होने के बावजूद भी अनुरोधित होने से प्रतिवादी के वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मान तब

नितान्त आवश्यक है। इसके लिए पक्षकारों के बीच में कार्गुनी बटवाडा नितान्त आवश्यक है।

कार्तव्य धारित किया जाना व राजस्व रेकार्ड में इस आशय का अमल दरासद करवाया जाना इतरा करवाया जा कर उसके आये हिस्से अनुसार पुंथक-पुंथक खाता दर्ज कर पुंथक में मुझे का कार्गुन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्सेनुसार मिट्टस एण्ड आउण्डस में पर हिस्से को मुझे में नहरम कर बंदखल कर देना चाहते है। इसलिए उक्त वर्णित समस्त के खाते मुझे पर कब्जा कर अपने हिस्से में आई बरा कर विकस कर वादी को उनके हक करवा कर देना है तथा प्रतिवादी धरन मौके की किमती मुझे पर अकले ही अपने हिस्से में करवा कर देना है मध्य वृत्तल खाते की कोई मुझे का कार्गुन मिट्टस एण्ड बाउण्डस में किया जावे न ही वादी को बंदखल करने का प्रयास करे न ही कोई निर्माण कार्य करे। वादी को

कोर्ट कमीश्नर वादी मौके पर अदा करें। प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के भौतिक रूप से कब्जे अनुसार बटवाडे में आई भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। प्रारंभिक डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खेरवाडा को भेजा जावे। भौतिक रूप से विभाजन हेतु तहसीलदार खेरवाडा को कोर्ट कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कोर्ट कमीश्नर की शुल्क राशि 1000/-रु. वादी पक्ष वहन करेगा। प्रारंभिक डिक्री अनुसार पालना रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं खेरवाडा अधिकारी  
सहायक कलेक्टर एवं  
खेरवाडा, जि. खेसरो (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी

खेरवाडा